

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/लेखा-2/28013 /2021-22

दिनांक : 02.12.2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक ।

विषय :- कालीबाई भील मेंधावी छात्रा स्कूटी योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु
ऑन लाइन आवेदन तिथि में अभिवृद्धि बाबत ।

संदर्भ :- आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर का पत्रांक :1405 दिनांक 01.12.2022
व 1407 दिनांक 01.12.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सदंर्भित पत्र के क्रम लेख है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में
काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना अन्तर्गत ऑल लाइन आवेदन की अंतिम तिथि
दिनांक 30.11.2022 थी । आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के प्रासंगिक पत्रानुसार आवेदन की
अंतिम तिथि दिनांक 21.12.2022 कर दी गई है । अतः आवेदन से वंचित रही पात्र छात्राओं
से आवेदन भरवाना सुनिश्चित करें ।
संलग्न : प्रासंगिक पत्र की प्रति



Mr. Dandia

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/लेखा-2/28013 /2021-22

दिनांक : 02.12.2022

प्रतिलिपि : सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि पत्र
को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें ।

Mr. Dandia

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2022-23/1407

दिनांक- 01.12.2022

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
राजकीय महाविद्यालय/वित्तपोषित विश्वविद्यालय,
वित्तपोषित महाविद्यालय/निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना,
देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा
छात्रवृत्ति योजना एवं विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री(बी.एड.) संबल योजना में
ऑनलाईन आवेदन हेतु तिथि में अभिवृद्धि बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित योजनाओं हेतु
छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 30.11.2022 थी, जिसमें निम्नानुसार
अभिवृद्धि की जाती है -

क्र. स.	छात्रवृत्ति/स्कूटी का नाम	वर्ष	पोर्टल प्रारम्भ तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	2022-23	20.10.2022	21.12.2022
2	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना	2022-23	20.10.2022	21.12.2022
3	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना	2022-23	20.10.2022	21.12.2022
4	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना :-			
	1. उच्च शिक्षा विभाग-12वीं उत्तीर्ण (सभी वर्ग की छात्राओं हेतु)	2022-23	20.10.2022	21.12.2022
	2. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	2022-23	20.10.2022	21.12.2022
	3. सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग)	2022-23	20.10.2022	21.12.2022
	4. अल्प संख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (अल्प संख्यक मामलात विभाग)	2022-23	20.10.2022	21.12.2022
	5. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग)	2022-23	20.10.2022	21.12.2022
	6. अनुसूचित जनजाति (ST) की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग)	2022-23	20.10.2022	21.12.2022
	7. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	2022-23	20.10.2022	21.12.2022

योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, परिपत्र क्रमांक-955 दिनांक-30.12.2021, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल-निवास, बैंक डिटेल्स आदि अपडेट होनी चाहिए।

D:/Shortcut For Some Folders/Online Scholarship/

ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट <https://htc.rajasthan.gov.in/> द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE,TAD,Minority)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

(डॉ. ललिता शर्मा)

मुख्य लेखाधिकारी

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

दिनांक- 01.12.2022

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाइन/2022-23
प्रतिलिपि:-प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु।

मुख्य लेखाधिकारी

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर



सत्यमेव जयते

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23 (80)लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2022-23/1405

दिनांक - 01.12.2022

छात्रवृत्ति एवं स्कूटी हेतु ऑनलाईन आवेदन

राजस्थान स्थित राजकीय/निजी विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से निम्नलिखित योजनाओं में विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> पर ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 30.11.2022 थी जिसमें निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है -

क्र.स.	छात्रवृत्ति/स्कूटी का नाम	वर्ष	पोर्टल प्रारम्भ तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	2022-23	20.10.2022	21.12.2022
2	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संवल योजना	2022-23	20.10.2022	21.12.2022
3	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना	2022-23	20.10.2022	21.12.2022
4	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना :-			
	1. उच्च शिक्षा विभाग-12वीं उत्तीर्ण (सभी वर्ग की छात्राओं हेतु)	2022-23	20.10.2022	21.12.2022
	2. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	2022-23	20.10.2022	21.12.2022
	3. सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग)	2022-23	20.10.2022	21.12.2022
	4. अल्प संख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (अल्प संख्यक मामलात विभाग)	2022-23	20.10.2022	21.12.2022
	5. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग)	2022-23	20.10.2022	21.12.2022
	6. अनुसूचित जनजाति (ST) की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग)	2022-23	20.10.2022	21.12.2022
	7. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	2022-23	20.10.2022	21.12.2022

योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्र/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, परिपत्र क्रमांक-955 दिनांक-30.12.2021, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल-निवास, बैंक डिटेल् आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाईन आवेदन विभाग की वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE,TAD,Minority)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

(डॉ. ललिता शर्मा)

मुख्य लेखाधिकारी

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर